राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 736वी बैठक दिनांक 12.07.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 736वी बैठक दिनांक 12.07.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री विकास मिश्रा, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9244/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
2.	9245/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
3.	9009/2022	1(a)	पत्थर खदान	संशोधित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
4.	8581/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
5.	9223/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
6.	5557/2017	2(b)	आयरन, मैगनीज एवं बॉक्साईट ऑर बेनिफिशियेशन प्लान्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	8370/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Delisted
8.	7341/2020	1(a)	ग्रेनाईट खदान	For Delist	Delisted
9.	9249/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
10.	9250/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
11.	9226/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
12.	9162/2022	2(b)	मैगनीज ऑर बेनिफिशियेशन प्लान्ट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
13.	9200/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
14.	9206/2022	1(a)	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
15.	9251/2022	1(a)	पत्थर एवं मुरूम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
16.	9252/2022	8(a)	भवन निर्माण	For ToR	ToR स्वीकृत
17.	9212/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
18.	9219/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19.	9253/2022	1(a)	ऑकर, व्हाईट अर्थ एवं बॉक्साईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
20.	9254/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
21.	9039/2022	8 (a)	वेयरहाउस	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
22.	6638/2019	1(a)	लेटेराईट एवं ऑकर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
23.	6417/2019	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
24.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला छतरपुर– (रेत खनिज) (संशोधित)			SEAC द्वारा अद्यतन अनुशंसित	SEAC के निर्णय से सहमत
25.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – बालाघाट (संशोधित)			SEAC द्वारा अद्यतन अनुशंसित	SEAC के निर्णय से सहमत

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC के अनुशंसित उपरोक्त प्रकरणों में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

1. **भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित Online प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज Online ही प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। SEAC द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी Offline प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेजों को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा।**

   अतः प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि SEAC द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से चाही गई जानकारी ADS के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर Online ही प्राप्त की जाये एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन/ऑफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यत अंकित किया जाये। अतः प्रकरणों को SEAC को पुनः अग्रेषित किया जाता है। संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

1	प्रकरण क्र. 9009/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती आशिया बेगम पत्नी स्व. श्री अब्दुल रज्जाक, निवासी ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 3800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर में से रकबा 0.56 हेक्येटर, खसरा 626/1, ग्राम मेहंदवानी, तहसील शाहपुरा, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति में संशाधन बावत्।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 में अनुशंसित संशोधित पर्यावरणीय स्वीकृति।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित Online प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज Online ही प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। SEAC द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी Offline प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेजों को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि SEAC द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से चाही गई जानकारी ADS के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर Online ही प्राप्त की जाये एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन/ऑफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यत अंकित किया जाये। अतः प्रकरणों को SEAC को पुनः अग्रेषित किया जाता है। संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। चूँकि उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा पश्चात् प्रकरणों को SEIAA को प्रेषित किया जाये।

5	प्रकरण क्र. 9223/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जिराती मुरूम सप्लायर्स, श्री सुभाष जितारी व श्री सादिक खान, निवासी नियर ग्राम चंदावड़, तहसली धमरपूरी, जिला धार (म. प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 129/1, ग्राम चंदावड़, तहसली धमरपूरी, जिला धार (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 में अनुशंसित।
9	प्रकरण क्र. 9249/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव गांधी आत्मज श्री विजय गांधी, निवासी 21, किला मार्ग, जोबट, जिला अलीराजपुर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 47025 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.60 हेक्टेयर, खसरा 78, 81 279, 280, 281, 286, 287, 288, ग्राम कोल्याबयडा, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 में अनुशंसित।

उपरोक्तानुसार प्रकरणों में संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर को सूचित किया जाये कि SEAC द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित चाही गई वांछित जानकारी जिला स्तर से सर्वोच्च प्राथमिकता पर सीधे ही SEAC को प्रेषित की जाये एवं इसकी एक प्रति SEIAA को भी प्रस्तुत की जाये। उक्त निर्देशित कार्यवाही के परिपालन में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित Online प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज Online ही प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। SEAC द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी Offline प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेजों को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि SEAC द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से चाही गई जानकारी ADS के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर Online ही प्राप्त की जाये एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन/ऑफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यत अंकित किया जाये। अतः प्रकरणों को SEAC को पुनः अग्रेषित किया जाता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। चूँकि उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा पश्चात् प्रकरणों को SEIAA को प्रेषित किया जाये।

1	प्रकरण क्र. 9244/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, जकीरा हाउस, घुरदंग, रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.804 हेक्टेयर, खसरा 49/1/ख/1/1, 49/1/ख/1/2, 49/1/ख/2, ग्राम बेला, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 में अनुशंसित।
2	प्रकरण क्र. 9245/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री दशरथ बामोरिया, आत्मज श्री केशवराव बामोरिया, निवासी 64, हाउसिंग बोर्ड, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 5000 व एम–सेण्ड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 2176/2440/2, ग्राम घिनौदा, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 में अनुशंसित।
4	प्रकरण क्र. 8581/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री संजय पाटीदार आत्मज श्री शोभराम पाटीदार, अंजद, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 38800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 24, ग्राम पलासिया, तहसील अंजद, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 581वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 में अनुशंसित।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

10	प्रकरण क्र. 9250/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री दीप नारायण सिंह, निवासी ग्राम अकौना, तहसील अबेर, जिला सतना (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 14950 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.613 हेक्टेयर, खसरा 395/1 भाग, ग्राम पटरहाई, तहसील रामपुर बघेलन, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 में अनुशंसित।
22	प्रकरण क्र. 6638/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित कुमार अग्रवाल निवासी 47 – प्रभात विहार कालोनी पन्ना नाका सतना (म.प्रं) द्वारा लेटेराईट एवं ओकर खदान, (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड) उत्पादन क्षमता लेटेराईट 60000 टन प्रतिवर्ष एवं ओकर 8000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 11.654 हेक्टेयर, खसरा 101 भाग 103 भाग, 133 भाग ग्राम पगार कलां, तहसील बिरसिहपुर, जिला सतना (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति ।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 583वीं बैठक दिनांक 30.06.2022 में अनुशंसित।
23	प्रकरण क्र. 6417/2019 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती प्रतिमा राजे राणा पिता स्व. श्री राणा प्रताप सिंह निवासी, सूर्याचल गढ़ी ग्राम धुआरा वी.पि.ओ. धुआरा जिला छरतपुर (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाइज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 77,010 टन प्रतिवर्ष, रकबा 18.21 हेक्टेयर, खसरा 1008,ग्राम – तिगोड़ा, तहसील बन्डा, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 583वीं बैठक दिनांक 30.06.2022 में अनुशंसित।

उपरोक्त संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर को सूचित किया जाये कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016 व 25 जुलाई 2018 एवं Sustanable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforecemnt and Monitoring Guideline for Sand 2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. 456/2018, 726/2018 में दिनांक 04.11.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन में जिला स्तर पर गठित उपसंभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिवस की कार्यवाही पूर्ण कर SEAC समिति के परीक्षण एवं SEIAA कार्यालय को अनुमोदन हेतु 01 माह में प्रेषित की जाये। तदानुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं संबंधित परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

4. प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि SEAC द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन/ऑफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यत अंकित किया जाये। अतः प्रकरणों को SEAC को पुनः अग्रेषित किया जाता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। चूँकि उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा पश्चात् प्रकरणों को SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13	प्रकरण क्र. 9200/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री श्याम सिंह चौहान आत्मज श्री तेज सिंह चौहान, निवासी पावती, तहसील गरोथ, जिला मंदसौर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 2625, ग्राम पावती, तहसील गरोथ, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 में अनुशंसित।
14	प्रकरण क्र. 9206/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्यामजी मिनरल्स श्री अमोल सिंह अहिरवार, प्रोपराईर, निवासी छनारी, पोस्ट अट्टा, तहसील मालथौन, जिला सागर (म.प्र) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 162/3, 162/4, ग्राम चनारी ,तहसील मालथैन, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 में अनुशंसित।

उपरोक्त संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर को सूचित किया जाये कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016 व 25 जुलाई 2018 एवं Sustanable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforecemnt and Monitoring Guideline for Sand 2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. 456/2018, 726/2018 में दिनांक 04.11.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन में जिला स्तर पर गठित उपसंभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिवस की कार्यवाही पूर्ण कर SEAC समिति के परीक्षण एवं SEIAA कार्यालय को अनुमोदन हेतु 01 माह में प्रेषित की जाये। तदानुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं संबंधित परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

6. **Case No. - 5557/2017** Prior Environment Clearance for Capacity Expansion in Iron, Mangnese & Bauxite Ore Beneficiation Plant at Khasra No. 75 & 85 Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, Distt. - Jabalpur, (M.P.) Existing Capacity – 19,800 TPA, Proposed Input – 3,00,000 TPA Output – 2,10,000 TPA by M/s Jakhodia Minerals, Jakhodia Group 184, Samta Colony, Raipur, (C.G.).

   1. उपरोक्त प्रकरण खनिज अयस्क लाभकारी परिष्करण सयंत्र की क्षमता विस्तार के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति से सम्बंधित है । यह प्रकरण पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 के अंतर्गत 2 (बी) सूची में सम्मलित है।
   2. प्राधिकरण द्वारा इस सयंत्र को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्रमांक 889/SEIAA/2015 दिनांक 02/05/2015 को लोह अयस्क उत्पादन क्षमता 19800 टन प्रति वर्ष के परिशोधन हेतु प्रदान की गई थी।
   3. इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय से प्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 07/09/2021 परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है।
   4. उक्त प्रकरण को पूर्व में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 569वीं दिनांक 06. 05.2022 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित कर प्रकरण को प्राधिकरण को प्रेषित किया

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गया था। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 01 से 11 तक अंकित है, उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक 726वीं दिनांक 25.05.2022 में विचारार्थ रखा गया जिसमें निम्न अनुशंसा की गई :–

"Today the case was considered and discussed by the authority. The case was recommended by SEAC for "PP vide their letter dated 06/07/21 submitted query reply which as placed before the committee and the same found satisfactory. The EIA/EMP and other submission made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for Capacity Expansion in Ore Benefication Plant for Iron, Mn and Bauxite ofM/s. Jakhodia Minerals Khasra No. 75 & 85 Village - Dhamki, Tehsil - Sihora, Distt. - Jabalpur, (M.P.) Existing Capacity – 19,800 TPA, Proposed Input – 3,00,000 TPA Output – 2,10,000 TPA.

- *It is noted that the letter dated 06/7/21 mentioned in recommendation is not available on Parivesh Portal.*
- *SEAC recommendation the case for Capacity Expansion of Ore Benefication Plant for Iron, Mn and Bauxite of M/s. Jakhodia Minerals, however PP has applied only for expansion of Iron Ore benefication in Form-2 respectively.*

In context of above it is decided to refer the case back to SEAC for clarification and if needed revised form-I queries reply should be submitted by PP through ADS on Parivesh Portal.

उक्त निर्णय के प्रकाश में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 581वीं दिनांक 24.06.22 की कार्यवाही विवरण में पेज नंबर 31 से 35 पर अंकित करते हुए पुनः परीक्षण कर "पूर्व पर्यावरण स्वीकृति" अनुशंसित की है। उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिया गया :–

i. परियोजना का विस्तार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है (19,800 TPA से 3,00,000 TPA) साथ ही परियोजना में मैग्नीज़ एवं बॉक्साइट को भी शामिल किया जा रहा है अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाता है कि बेनीफिशियेशन से जेनरेटेड रिजेक्ट का उचित प्रबंध करे, जिसे पर्यावरण को किसी प्रकार कि क्षति न हो तथा उत्पादन क्षमता के अनुसार प्लांट में Raw Material के रखरखाव कि समुचित व्यवस्था हो।
ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संचालन के समय पानी की मांग पूर्ति हेतु भूजल पानी से किया जाना प्रस्तावित है, भूजल का दोहन CGWA से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने उपरांत ही करें।
iii. खसरा क्रमांक 75 की कुल 1.40 हेक्टेयर भूमि का उपयोग केवल बेनीफिशियेशन प्लांट के लिए ही किया जायेगा, यह सुनिश्चित करें ।
iv. परियोजना प्रस्तावक परिवहन मार्ग के साथ परिधीय सघन वृक्षारोपण करेगा और वृक्षारोपण को भी मजबूत करते हुए संपूर्ण वृक्षारोपण 02 वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की** 569वी

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

बैठक दिनांक 06 मई 2022 एवं 581वी बैठक दिनांक 24.06.2022 की **कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों** को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ **उपरोक्त बिंदु i, ii, iii एवं iv को शर्तों में शामिल करते हुए परिशिष्ट–1 सहित परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जखोदिया मिनरल्स, जखोदिया ग्रुप 184, समता कॉलोनी रायपुर (छग.) को पूर्व पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रस्तावित विस्तार ऑयरन, मैगनीज एवं बॉक्साईट ऑर बेनिफिशियेशन प्लान्ट, खसरा नम्बर 75 एवं 85, ग्राम धमकी, तहसील सीहोर, जिला जबलपुर को उत्पादन क्षमता 19800 टन प्रतिवर्ष से 300000 टन प्रतिवर्ष हेतु पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रदान की जाती है।**

7. **प्रकरण क्र. 8370/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट, प्रोपराईटर श्रीमती कृष्णा यादव पत्नी श्री अशोक सिंह यादव, निवासी 108, बैंकर्स कॉलोनी, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से 1,50,005 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.320 हेक्टेयर, खसरा 13, ग्राम लखनपुरा, तहसली डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 576 वी बैठक दिनांक 10.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि जिला ग्वालियर की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु SEIAA कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। अतः जिला कलेक्टर, ग्वालियर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016 व 25 जुलाई 2018 एवं Sustanable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforecemnt and Monitoring Guideline for Sand 2020 के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. 456/2018, 726/2018 में दिनांक 04.11.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन में जिला स्तर पर गठित उपसंभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिवस की कार्यवाही पूर्ण कर SEAC समिति के परीक्षण एवं SEIAA कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार प्रकरण को Delist किया जाये, परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. **प्रकरण क्र. 7341/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.बी. ग्रेनाईट लि. निवासी 614, अपेक्स मॉल, लाल कोठी, टांक रोड़, जिला जयपुरा (राजस्थान) द्वारा ग्रेनाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 28/1, ग्राम सिलपटपुरा, तहसील चांदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

"........राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 में उक्त प्रकरण में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है। "

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 583वी बैठक दिनांक 30.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 9226/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सूरज सिंह बघेल, आत्मज मानेन्द्र बहादुर सिंह वघेल निवासी ग्राम पतेरी, तहसील बहरी, जिला सीधी (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 39002 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.65 हेक्टेयर, खसरा 1050 भाग, ग्राम डढ़िया, तहसील बहरी, जिला सीधी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान पहाड़ के ऊपर स्वीकृत है जिसके पूर्व दिशा में 25 मीटर पर कच्चा रोड़ है, उत्तर—पश्चिम दिशा में 50 मीटर पर आबादी तथा सम्पूर्ण लीज क्षेत्र में कई पेड़ लगे हैं । आबादी को ध्यान में रखते हुए परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन् योजना में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है किंतु उनके द्वारा आबादी को ध्यान में रखते हुए खनन् रॉक ब्रेकर से किया जायेगा तथा आबादी से एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 21/7/20 के अनुरूप 100 मीटर का नॉन माईनिंग जोन प्रस्तावित किया गया है तथा पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है । चूकि सम्पूर्ण लीज क्षेत्र में कई पेड़ लगे हैं इस कारण समिति ने प्रकरण के साथ ऑन लाईन प्रस्तुत खसरा पी—2 फार्म का अवलोकन किया तथा पाया कि पी—2 फार्म में कैफियत "म.प्र.शासन इमारती लकड़ी हेतु" दर्ज है । समिति ने चर्चा के दौरान पाया कि चूँकि पी—2 फार्म में खसरे की कैफियत "म.प्र.शासन इमारती लकड़ी हेतु" दर्ज है अतः इसका लैंडयूज खनन् हेतु परिवर्तित करने बावत् इसका वैधानिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया जा कर निर्णय लिया जाना उचित होगा । अतः समिति की अनुशांसा है कि उपरोक्त संदर्भ में प्रकरण मार्गदर्शन हेतु सिया को प्रेषित किया जाये ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 582वी बैठक दिनांक 29.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया जाता है कि पी—2 फार्म में खसरे की कैफियत "म.प्र.शासन इमारती लकड़ी हेतु" दर्ज है अतः इसका लैंडयूज खनन् हेतु परिवर्तित करने बावत् इसका वैधानिक दृष्टिकोण से परीक्षण किया जा कर स्पष्ट अभिमत कलेक्टर, सीधी से प्राप्त किया जाये कि प्रस्तावित क्षेत्र खनन हेतु योग्य है अथवा नहीं तथा यह भी स्पष्ट किया जाये कि उक्त क्षेत्र वन क्षेत्र के रूप में दर्ज तो नहीं है। तदानुसार वनमण्डलाधिकारी सीधी एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12. **Case No 9162/2022:**Prior Environment Clearance for Green Field Project of Manganese Ore Beneficiation Plant (Capacity - 0.5 MTPA) at Village Selwa, Tehsil - Katangi, District - Balaghat, MP by M/s Badebaba Mining and Consultancy LLP, SHriShubham Jain, Partner, Main Road, Goberwahi, Dist. Balaghat, MP - 481445

1. यह प्रकरण ग्राम सेलवा, तहसील–कटंगी, जिला–बालाघाट, मध्यप्रदेश में मैंगनीज अयस्क बेनीफिशियेशन प्लांट (क्षमता – 0.5 एमटीपीए) परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है।
2. इस परियोजना का ToR MoEF&CC, द्वारा 23.09.2020 Vide Letter No. J–11011/177/2020–IA-II (I) से जारी किया गया है।
3. MoEF&CC, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.04.22 के अनुसार परियोजना B केटेगरी के अंतर्गत शामिल हो गया है, इसलिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा EIA रिपोर्ट SEIAA में जमा किया गया है।
4. प्रकरण पर 572वीं एसईएसी बैठक दिनांक 19/05/22 में चर्चा की गई और कुछ प्रश्न उठाए गए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जवाब प्रस्तुत करने उपरांत प्रकरण को SEAC की 582वीं बैठक में विचार करते हुए EC के लिए अनुसंशित किया गया है।

प्रकरण में परीक्षण एवं अनुशंसित कार्यवाही का विवरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 582वी दिनांक 29/06/2022 की कार्यवाही विवरण में पेज नंबर 11 से 24 पर अंकित की गयी है। उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को आज की बैठक में विचारार्थ रखा गया जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि SEAC द्वारा प्रकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन/ऑफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यत अंकित किया जाये। अतः प्रकरण पुनः SEAC को अग्रेषित किया जाता है।

15. **प्रकरण क्र. 9251/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री दिपेन्द्र साहू आत्मज श्री पवन साहू, निवासी 305, गोहलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 70,003 व मुरूम 17,501 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.20 हेक्टेयर, खसरा 18, 19, 24, ग्राम मानेगांव, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(v) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(vi) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(vii) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(viii) The Methodologies of cluster environment managment plan along with detailed monitoring programme should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(ix) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(x) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xi) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु कन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामुहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

(xiii) प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 500 मीटर पर रोड़ है तथा पूर्वी दिशा में ही 310 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xiv) चूँकि खदान के पूर्वी भाग में पानी भरा हुआ है, अतः डी–वाटरिंग योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।

(xv) ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xvi) आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।

(xvii) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xviii) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xix) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xx) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xxi) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

16. **Case No 9252/2022:** Environment Clearance for Proposed at Proposed "Sage Golden Spring" Residential Apartment located at Khasra No. - (10/1, 12, 13, 14, 15), (10/2/1, 12, 13, 14, 15), 11/1, (16/1, 18, 21), (16/2, 18, 21) 17/1/1, 17/1/2, 17/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 28/1/1, 28/1/2, 28/2/1, 28/2/2, 29/1/1, (A) 29/1/1 (B) 29/1/2/1, 29/1/2/2, 84/1/1, (84/2/1, 85, 86/1), 84/2/2, 86/2, Village – Damkheda, PatwariHalka No. 21, Tehsil – Huzur& District – Bhopal (M.P.). Total Plot Area – 47170.00 Sq.mtr. (4.717 ha,), Built Up Area - 98714.54 square meter ha., by M/s Vrindavan Construction, Partner, Shri Arun Agrawal S/o Late Shri R.P.Agrawal, 250, Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Dist. Bhopal, MP.

1. प्रकरण आवासीय रेसीडेशियल अपार्टमेन्ट निर्माण के लिए पर्यावरण उल्लंघन के पश्चात् पर्यावरण मंजूरी का है। प्रश्नाधीन प्रकरण ''मानक संचालन प्रक्रिया'' के तहत विचाराधीन है।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 583वीं बैठक दिनांक 30.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 03 से 06 पर अंकित है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

- परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैद्यानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।
- साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।
- परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का निमार्ण न करे। चल रहे समस्त निमार्ण कार्य तत्काल बंद करे।
- साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयो एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सभी परियोजना के संबंध में दिये गये वैद्यानिक निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षराशः पालन करेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लघंन की पुर्नरावृत्ति नहीं करेगा
- प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/सलाहकार पर्यावरण प्रभाव आकंलन प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेगा। साथ ही इनके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिये उपचार योजना प्रस्तावित करेगा।
- प्रतिवेदन में निर्मित भवन का खुला स्थान (MOS) Front, Side & Back MOS की वास्तविक माप कार्य स्थल पर क्या है उसे मानचित्र में संलग्न करेगा। साथ ही नगर निगम, भोपाल, भवन निर्माण के पूर्व ली गई भवन अनुज्ञा एवं मानचित्र, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल से स्वीकृत ले–आउट एवं पत्र का पठनीय मानचित्र संलग्न करेगा।
- परियोजना स्थल पर कार्य प्रारंभ करने से लेकर आवेदन दिनांक तक कंपनी द्वारा Return फाईल की प्रमाणित बैलेंसशीट EIA Report में सम्मिलित करे।
- **Study the socio-economic condition of the project area and its surrounding and their impact on the project design and operation.**
- **Looking to the increase the use of electrical vehicle in recent future, provision for the installation of sufficient number of electrical charging port should be made in the proposed site. This point should be specifically discussed and deliberated in the proposed EIA.**
- **Project proponent shall explore feasibility to install as maximum as possible solar power / lighting systems within premises.**

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- **Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of installed / proposed structures in EIA report.**
- **Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.**

17. प्रकरण क्र. 9212/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पायल बिनेन, निवासी 81, राजेन्द्र नगर, जिला (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 3/1/1/1, ग्राम सांवलियारौंदी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 583वी बैठक दिनांक 30.06.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"........प्रकरण आज बैठक कमांक 583वीं दिनांक 30/06/22 एवं 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 583वी बैठक दिनांक 30.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 9219/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष किरार, निवासी 3/16, ऐशबाग, मानसी अस्पताल के पास, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 19665 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.970 हेक्टेयर, खसरा 1012, ग्राम कस्बा, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 583वी बैठक दिनांक 30.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan along with detailed monitoring programme should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xiii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xiv) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु कन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामुहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

(xvi) प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण–पूर्व में क्रमशः 65 मीटर पर कच्चा रोड़ है तथा उत्तर दिशा में 195 मीटर पर शेड है, अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।

(xvii) खदान के दक्षिण–पूर्वी क्षेत्र से लीज के अंदर से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।

(xviii) ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xix) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xx) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xxi) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxii) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xxiii) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19. प्रकरण क्र. 9253/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाई कंपनी, निवासी वार्ड न. 8, ग्राम जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा आकर, व्हाईट अर्थ व बाक्साईट खदान, उत्पादन क्षमता बाक्साईट 44,414, आकर 4,224 व ओवरबर्डन 7,634 टन प्रतिवर्ष, रकबा 5.005 हेक्टेयर, खसरा 9, 4/1, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 50, ग्राम घटनिया, तहसील मझगंवा, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 583वीं बैठक दिनांक 20.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iii) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(iv) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(v) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(vi) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(vii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(viii) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(ix) गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर आबादी / बसाहट है तथा लीज क्षेत्र के पूर्वी भाग से होकर कच्चा रास्ता निकल रहा है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(x) प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xi) ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xii) सरफेस रनऑफ मैनेजेंमेंट प्लॉन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xiii) आवेदित स्थल टाईगर मूवमेंट एरिया से बाहर है, के संबंध में वन मंडला अधिकारी (डी. एफ.ओ) का प्रमाण–पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xiv) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो व केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अध्ययन के साथ किया जाये तथा ई. आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xv) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

(xvi) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xvii) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र. 9254/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश अग्रवाल, निवासी जी–11 चौराहा, स्कीम नं. 94, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 50000 प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 639, 645, 648, ग्राम खंडवा, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 583वी बैठक दिनांक 30.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan along with detailed monitoring programme should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xiv) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु कन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामुहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

(xvi) प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 360 मीटर, उत्तर दिशा में 170 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 170 मीटर पर कच्चा रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xvii) प्रश्नाधीन खदान में 03–04 पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित फोटोग्राफ एवं ड्रोन विडियोग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xviii) प्रश्नाधीन खदान के उत्तर–पूर्वी दिशा में 750 मीटर पर तालाब है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xix) खदान के गूगल इमेज के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2019 से उत्खनन् कार्य किया जा रहा है। प्रकरण के साथ प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना एवं सरफेस मेप पर पिट का विवरण दर्ज नहीं किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको यह खदान इसी स्थिति में मार्च, 2022 में स्वीकृत हुई है एवं उनके द्वारा उत्खनन् कार्य नहीं किया गया है। चूँकि अनुमोदित खनन् योजना एवं सरफेस मेप पर पिट का विवरण दर्ज नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ माईनिंग अधिकारी यह प्रमाण–पत्र संलग्न करेगा कि इस खदान पर किया गया उत्खनन् कार्य उसके द्वारा नहीं किया गया है ।

(xx) ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर ग 01 मीटर ग 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxi) सरफेस रनऑफ मैनेजेमेंट प्लॉन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xxii) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xxiii) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xxiv) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxv) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xxvi) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

(विकास मिश्रा) **सदस्य सचिव**	(अरूण कुमार भट्ट) **अध्यक्ष**

21. Case No 9039/2022 : Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawer, Dist. Indore, (MP)Total plot area 1,30,780.00 sq.m Proposed built-up area 56,156.00 sqm.by M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd, 37 - 38,Lasudia Mori, Dewas Naka, A.B. Road, Dist. Indore, MP Env. Consultant M/s. Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur (Raj.).

प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक 728वीं दिनांक 27 मई 2022 में विचारार्थ रखा गया निम्नानुसार रिकार्ड किया गया –

"राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 572 वी बैठक दिनांक 19.05.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

यह वाणिज्यिक गोदाम के विकास एवं निर्माण के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का प्रकरण है, प्रश्नाधीन प्रकरण पर्यावरण उल्लंघन का प्रकरण है जो कि "मानक संचालन प्रक्रिया" के अंतर्गत विचाराधीन है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ एवं मूल्यांकन समिति की बैठक 572 वीं दिनांक 19 मई 2022 की कार्यवाही विवरण में पेज नंबर 22 से 36 पर अंकित है, प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित की गयी है। उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई :–

1. *परियोजना अंतर्गत तीन गोदाम का निर्माण किया जाना है जिनका निर्मित क्षेत्रफल क्रमशः 20,520, 19,836 एवं 15,800 वर्ग मीटर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक ने सूचित किया है की फरवरी २२ तक, एक पूर्णतः बन गया है, दूसरा आधा बनाया जा चुका है एवं तीसरा अभी बनाना शेष है।*
2. *परियोजना प्रस्तावक एवं सलाहकार की ई आई ए प्रतिवेदन में कार्य की भौतिक प्रगति 55 प्रतिशत बताई गई है। यह भी बताया गया है की इस परियोजना की लागत रुपये 126 करोड़ है, अब तक इसके निर्माण में रुपये 9.95 करोड़ का खर्च कर लिया गया है ।*
3. *प्राधिकरण ने इस प्रकरण के अंतर्गत कार्य स्थल की गूगल इमेज का अवलोकन करते हुए यह पाया कि पहला एवं दूसरा गोदाम पूर्णतः बना दिख रहा है इसकी छत जो कि जी आई सीट की है पूर्ण निर्मित दिख रही है। इस प्रकार पहला एवं दूसरा गोदाम पूर्ण निर्मित हो चुके हैं, जो कि लगभग 40,356 वर्ग मीटर के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल के विरुद्ध लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण होना प्रतीत होता है।*
4. *बिंदु क्रं. 2 के अनुसार इस निर्माण कार्य में अभी तक रुपये 9.95 करोड़ का खर्च कर लिया गया है, इस प्रकार कुल लागत के विरुद्ध केवल 7.9 प्रतिशत का व्यय ही बताया गया है।*
5. *इस प्रकार भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत के विरुद्ध वित्तीय प्रगति मात्र 7.9 प्रतिशत परस्पर विरोधाभासी हैं।*
6. *राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ने परियोजना प्रस्तावक के प्रस्तावानुसार अपनी सहमति दे दी है। यह चिंताजनक है इस विषय में समिति को संज्ञान लेना चाहिए था इस प्रकार की त्रुटि से जहां पर्यावरण उल्लंघन के प्रकरणों में अर्थदंड प्रभावित होगा वहीं मानक प्रचलन प्रक्रिया जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जारी किया गया है के मूल उद्देश्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः समिति इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्ण सावधानी रखते हुए विवेचना करे।*

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

7. *इसी प्रकार "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत पर्यावरण नुकसान आकलन (डैमेज असिसमेन्ट) का भी ई आई ए में गंभीरता पूर्ण अध्ययन नहीं किया गया है इसका विस्तृत अध्ययन कर उपचारात्मक योजना (REMEDIATION PLAN) प्रस्तावित की जाना चाहिए, ताकि पूर्व में किये गए निर्माण से, पर्यावरण उल्लंघन से हुए नुकसान की भर पाई की जा सके।*

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि प्रकरण को पुनः विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को प्रेषित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.22 को परियोजना स्थल का निरीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णयानुसार SEAC द्वारा 25/06/2022 को परियोजना स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट की प्रस्तुतीकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की मीटिंग 583वीं दिनांक 30.06.22 को की गई जो कार्यवाही विवरण में पेज नम्बर 30 से 35 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अनुशंसा उपरांत प्रकरण को प्राधिकरण की आज की बैठक में विचार हेतु रखा गया तथा प्रकरण में विस्तृत रूप से प्रत्येक बिन्दुओं पर गंभीर मंथन उपरांत यह निर्णय लिया गया कि :-

- **परियोजना प्रस्तावक के अनुसार उक्त परियोजना की अनुमानित लागत रु 126 करोड़ है परियोजना में प्रस्तावित दो गोदाम पूर्ण होने का व्यय रु 9.95 करोड़ बताया गया है जो कि लागत कि तुलना में असंगत प्रतीत होता है इस कारण भौतिक प्रगति एवं वित्तीय प्रगति कम दिख रही है, इसकी पुष्टि हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाता है, कि वर्ष 2020 –2021 तक का इनकम टैक्स** Return, **बैलेंसशीट एवं जीएसटी रिटर्न की सत्यापित अद्यतन प्रति जमा करे।**
- **साथ ही इस परियोजना हेतु किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लिया गया हो तो** SEIAA **में आवेदन दिनांक तक बैंक द्वारा दिनांकवार उपलब्ध कराई गई राशि की सत्यापित जानकारी प्रस्तुत करें।**
- **म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लघंन के संबंध में की गई वैद्यानिक कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु स्मरण पत्र लिखा जाये।**

24. नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – (रेत खनिज) – छतरपुर (संशोधित) बावत् :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 में जिला छतरपुर की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, छतरपुर एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

25. नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – बालाघाट (संशोधित) बावत् :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 में जिला बालाघाट की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, बालाघाट एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

1. Garland drain surrounding the raw material storage area has to be constructed which shall be connected to the treatment plant. Efforts shall be made to make use of the rain water harvested.
2. Tailings generated from the process shall be used for brick manufacturing / building material as far as possible. Storing / dumping of this waste should be avoided. However, if stored or dumped, in abundant mine pit the ground water monitoring of the area has to be carried out periodically in consultation with MPPCB.
3. Dense green area (not less than 33% of the total plot area) shall be developed all around the site especially in the predominant wind direction.
4. Occupational health check-up camps shall be organized regularly and records of health of each and every worker should be maintained at site.
5. National Ambient Air Quality Standard issued by the Ministry vide GSR No. 826 (E) dated 16.11.2009 shall be followed.
6. Secondary fugitive emissions from all sources shall be controlled within latest permission limits issued by the Ministry and regularly monitored. Guidelines / Code or practice issued by CPCB shall be followed.
7. Regular monitoring of influent and effluents surface, sub-surface and ground water shall be ensured and treated waste water shall be re-cycled in the process. Leachate study for effluent generated & analyses should also be regularly carried out and report submitted to ministry and MPPCB.
8. Risk & Disaster Management Plan along with the mitigation measures should be prepared and copy shall be submitted to Ministry of Environment & Forests, GoI& MPPCB.
9. PP shall implement Corporate Environment Responsibility with budgetary provision of 15.0 lakhs

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष